भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1186
(30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

बीपीएल परिवारों का उत्थान

1186. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आगामी पांच वर्षों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी गरीब लोगों के उत्थान के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) वर्तमान में देश में विशेष रूप से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की अनुमानित संख्या कितनी है; और

(ग) गरीबी रेखा से ऊपर लाए जाने वाले ऐसे लोगों की संख्या के संबंध में लक्ष्य क्या है तथा इसकी वर्ष-वार अद्यतन स्थिति क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) सरकार का यह सतत प्रयास है कि विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी गरीब लोगों का उत्थान किया जाए। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आजीविका के अवसरों को बढ़ाने , ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने , ग्रामीण युवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने , बुनियादी ढांचे के विकास आदि पर मुख्य ध्यान देने के साथ पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के आर्थिक कल्याण में बढ़ोतरी के लिए बहु-आयामी कार्यनीतियों को अपनाया है। इस संबंध में , सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क

योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और वाटरशेड विकास जैसे कई लक्षित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है।

(ख) से (ग) वर्ष 2002 के बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) सर्वेक्षण के बाद, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गरीबी की बहुआयामी प्रकृति को पहचाने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 करवाई। इस जनगणना में आवास, भूमि स्वामित्व, शैक्षिक स्थिति, महिलाओं की स्थिति, विकलांगता, व्यवसाय, संपत्ति स्वामित्व, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.जा/अ.ज.जा) वर्गीकरण और आय सहित परिवारों के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर व्यापक आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं।

एसईसीसी 2011 में, ग्रामीण परिवारों को एकत्रित आंकड़ों के आधार पर तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया था: जो (i) "स्वत: बाहर हुए परिवार," (ii) " स्वत: शामिल परिवार," और (iii) "वंचित परिवार" हैं।

एसईसीसी प्रक्रिया मार्च 2016 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पूरी की गई थी। इसके निष्कर्ष सार्वजनिक रूप से एसईसीसी वेबसाइट (www.secc.gov.in) पर उपलब्ध हैं। एसईसीसी डेटा 17.97 करोड़ ग्रामीण परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, जिससे 13 मापदंडों के आधार पर 7.07 करोड़ (39.34%) परिवार गरीबी के मापदंड के अनुसार स्वत: बाहर कर दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, 0.16 करोड़ (0.89%) परिवारों को 5 मानदंडों के आधार पर स्वत: ही सबसे गरीब परिवार के रूप में शामिल किया गया था और 8.72 करोड़ (48.53%) परिवारों का सात मानदंडों के अंतर्गत वंचन आधार पर मूल्यांकन किया गया था।

वर्ष 2020 में नीति आयोग को बहुआयामी गरीबी सूचकांक के लिये नोडल एजेंसी के रूप में पहचाना गया था, जिसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रदर्शन की निगरानी के लिये एक स्वदेशी सूचकांक के निर्माण की भी ज़िम्मेदारी दी गई थी। नीति आयोग ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, ग्रामीण विकास, पेयजल, स्वच्छता, बिजली और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों सहित एक अंतर-मंत्रालयी एमपीआई समन्वय समिति (एमपीआईसीसी) का गठन किया था। इसमें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के विशेषज्ञ और तकनीकी भागीदार–संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएमडीपी) और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल (ओपीएचआई) भी शामिल थे। परिणामस्वरूप, भारत के लिए

एक व्यापक राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) बनाया गया था। बेसलाइन रिपोर्ट का प्रकाशन नवंबर 2021 में हुआ था और राष्ट्रीय एमपीआई रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जुलाई 2023 में जारी किया गया था।

'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक: एक प्रगति समीक्षा 2023' रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2015-16 और 2019-21 के बीच बहुआयामी रूप से गरीब व्यक्तियों का अनुपात 24.85% से घटकर 14.96% हो गया था , जिसके परिणामस्वरूप इस अवधि के दौरान 13.5 करोड़ व्यक्ति बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल गए। यह रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे निम्नलिखित वेबसाइट पर देखा जा सकता है:

https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-08/India-National-Multidimentional-Poverty-Index-2023.pdf
